सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन, 1945 (श०)

संख्या - 591 राँची, गुरुवार, 5 अक्टूबर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

8 सितम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-135/2017-23947(HRMS)-- श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, कोटि क्रमांक-50/20), तत्कालीन अंचलाधिकारी, ओरमांझी के विरूद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4514(9)/रा०, दिनांक 04.09.2017 के माध्यम से जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, राँची के पत्रांक-135(i)/स्था०, दिनांक 15.07.2017 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध निम्नवत् आरोप गठित किया गया-

(i). श्री मनोज कुमार (झा०प्र०से०) वर्ष 2009-2010 में अंचलाधिकारी, ओरमांझी के पद पर पदस्थापित थे। राजस्व, निबंधन भूमि सुधार, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-2665 दिनांक 30.05.2017 द्वारा गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1129 दिनांक 23.02.2017 द्वारा सी०बी०आई० ए०सी०बी० के पत्रांक-5909 दिनांक 31.12.2016 के माध्यम से सी०बी०आई० ए०सी०बी० काण्ड सं० आर०सी० 04(एस0)/2014 का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ।

ओरमांझी अंचल के मौजा-उकरीद, थाना नं०-63, खाता नं० 35, प्लॉट नं0-161, रकबा नं०-65 डी० भूमि श्री निर्मल महतो एवं श्री सुरजन महतो के द्वारा श्री अमर कुमार वर्मा को पावर ऑफ एर्टोनी दिया गया। उक्त भूमि को श्री बंसत कुमार एवं श्री अमर कुमार वर्मा द्वारा संजीवनी विल्डकोन प्रा० लि० के श्री अशोक कुमार के नाम से पंजीकृत कराया गया। श्री अशोक कुमार द्वारा शिकायतकर्त्ता श्री सरबजीत सिंह को कुल 9.99 डी० भूमि के साथ अन्य कुल 10 व्यक्तियों के नाम से कुल 59.91 डी० भूमि की बिक्री की गयी, जिसके नामांतरण की स्वीकृति दी गयी। सी०बी०आई० ए०सी०बी०, राँची के जाँच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्मल महतो एवं सुरजन महतो को खाता प्लॉट नं० 35 नं० 160 में 65 डी० का स्वामित्व था। खाता सं० 37 प्लॉट नं० 161 जिसका कुल रकबा 60 डी० है में निर्मल महतो एवं सुरजन महतो का स्वामित्व नहीं है। फिर भी उनके द्वारा खाता सं० 35 प्लॉट सं0 616 जिसका कुल रकबा 60 डी० था। संजीवनी विल्डकोन प्रा० लि० को पावर ऑफ एर्टोनी दिया गया। श्री सरबजीत सिंह को खाता नं० 35 प्लॉट नं० 161 रकबा 9.99 डी० भूमि संजीवनी विल्डकोन प्रा० लि० द्वारा अवैध रूप से बिक्री किया गया। जिसका नामान्तरण की स्वीकृति ओरमांझी अंचल द्वारा दी गयी।

प्रस्तुत मामले में श्री अशोक कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी ने दाखिल खारिज की प्रक्रिया के नियम विरूद्ध अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वार्थ लाभ हेतु श्री सरबजीत सिंह के नाम से मौजा-उकरीद, थाना नं०-63, खाता नं०-35, प्लॉट नं०-161, रकबा 9.99 डी० भूमि का नामांतरण की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया गया, श्री फिरोज अख्तर, अंचल निरीक्षक ने राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन को अपेक्षित कागजातों यथा पावर ऑफ एर्टोनी संबंधित बिक्री केवाला एवं उपलब्ध राजस्व पंजी से बिना जांच पड़ताल के ही राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए दाखिल खारिज की अनुशंसा की गयी।

श्री मनोज कुमार, अंचल अधिकारी, ओरमांझी प्रस्तुत मामले में उक्त तथ्यों से अवगत रहते हुए भी कि बिक्रेता को भूमि बिक्री करने का स्वामित्व ही नहीं था, फिर भी राजस्व अभिलेखों/पंजियों से राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन को सत्यापित किये बिना ही दाखिल खारिज को स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके लिए श्री कुमार प्रथम द्रष्टव्या दोषी है ।

(ii). संजीवनी विल्डकोन प्रा० लि० के द्वारा श्री राम कृपाल सिंह को मौजा-उकरीद, थाना नं०-63, खाता नं०-29, प्लॉट नं०-234, रकबा 4.59 डी0 भूमि की बिक्री की गयी। उक्त भूमि का नामांतरण की स्वीकृति श्री कुमार द्वारा प्रदान की गयी, जिसके आधार पर जमाबंदी पंजी II में जमाबंदी भी कायम किया गया। जमाबंदी कायम होने के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आने पर की जमीन के वास्तविक मालिक को राशि का भुगतान नहीं किया गया है एवं श्री राम कृपाल सिंह को संजीवनी विल्डकोन प्रा० लि० द्वारा भूमि पर दखल कब्जा नहीं दिया गया है। इस तथ्य को आधार मानकर श्री मनोज कुमार, अंचलाधिकारी ने स्वयं के द्वारा पूर्व में स्वीकृत किए गए नामांतरण वाद को अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अस्वीकृत किया गया। इनका उक्त कृत्य उपलब्ध प्रावधान एवं नियम के अनुकूल नहीं है। अंचल अधिकारी के द्वारा नामांतरण वाद की स्वीकृति देने के उपरांत पुनः उसे अस्वीकृत करने की शक्ति अंचल अधिकारी में निहित नहीं है, प्रावधानानुसार स्वीकृत नामांतरण वाद को अस्वीकृत कराये

जाने हेतु प्रथम अपीलीय पदाधिकारी उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सक्षम पदाधिकारी चिन्हित है। प्रस्तुत मामले में उक्त विभागीय निदेश का अनुशरण नहीं किया गया, जिसके लिए श्री कुमार प्रथम द्रष्टव्या दोषी है ।

(iii). श्री मनोज कुमार, अंचल अधिकारी, ओरमांझी का उक्त आचरण प्रथम द्रष्टया पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा के अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (1) (i), (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण है ।

2- उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10156, दिनांक 25.09.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर कई स्मार पत्र निर्गत किये गये, परन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया, फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0-27406, दिनांक 19.12.2019 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

3- विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकरी के पत्रांक-424, दिनांक 20.10.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के बचाव-बयान को स्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध एक भी आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है।

4- उक्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-340, दिनांक 24.01.2022 एवं स्मार पत्रांक- 4369, दिनांक 20.07.2022 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-2590(9)/रा0, दिनांक 01.08.2022 द्वारा विभागीय मंतव्य उपलब्ध कराया गया है ।

5- श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पर विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित कि माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड द्वारा परिवाद सं०-01/लोक/राजस्व-09/2015 में दिनांक 05.09.2018 को पारित आदेश, जिसकी प्रति राजस्व विभाग द्वारा सभी उपायुक्त को प्रेषित है, के आलोक में दाखिल खारिज मामले में अनियमितता हेतु मात्र राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक दोषी होते हैं, इसके लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि किसी भी भूमि का दाखिल खारिज स्वीकृत या अस्वीकृत अंचल अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा इस संबंध में मात्र प्रतिवेदन/अनुशंसा उपलब्ध करायी जाती है। अतः दाखिल खारिज की प्रक्रिया में सभी तथ्यों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् ही अंचल अधिकारी के स्तर से दाखिल खारिज स्वीकृत की जानी है ।

जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि निर्मल महतो एवं सुर्जन महतो की भूमि प्लॉट सं०-160 में है, न कि प्लॉट सं०-161 में। प्लॉट सं०-161 की कुल रकवा मात्र 60 डिसमील है, ऐसे में निर्मल महतो एवं सुर्जन महतो द्वारा प्लॉट सं०-161 में की गई पावर ऑफ़ एटोर्नी एवं बिक्री डीड के आधार पर दाखिल खारिज किया जाना सही नहीं है ।

6- द्वितीय आरोप के संबंध में स्पष्ट है कि किसी भी भूमि का दाखिल खारिज अंचल अधिकारी द्वारा विधिवत् अभिलेख खोलकर निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए की जाती है। एक बार दाखिल खारिज स्वीकृत होने के पश्चात् पंजी-II में मांग कायम हो जाने पर इसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता पास दायर अपील के सुनवाई के पश्चात् ही अस्वीकृत की जा सकती है। अंचल अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से दाखिल खारिज को स्वीकृत एवं फिर से अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है ।

7- समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री कुमार के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-1513, दिनांक 14.03.2023 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है। उनसे द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-3639, दिनांक 26.06.2023 द्वारा स्मारित किया गया है। इसके बावजूद भी उनका उत्तर अप्राप्त रहा ।

8- मामले की समीक्षा क्रम में पाया गया कि पूर्व में भी राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त आरोप पत्र पर भी श्री कुमार से कई विभागीय पत्रों द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी, परन्तु उनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा एवं वर्तमान में पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब उनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि श्री कुमार को अपना पक्ष रखने में कोई रूचि नहीं है ।

अतः श्री मनोज कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, ओरमांझी के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANOJ KUMAR 20060400042	श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-50/20) तत्कालीन अंचलाधिकारी, ओरमांझी के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 591 - 50